प्रपत्र–एम.एम. 6

खनन के लिए नीलाम पट्टे का आदर्श प्रपत्र–(नियम 29)

यह अनुबन्ध आज .....दिनांक .....20.....को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगें), एक पक्ष और

यदि पट्देदार व्यक्ति विशेष हो :..... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) जिस आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) दूसरा पक्ष

यदि पट्टेदार एक से अधिक हों :– .....(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) तथा .....(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जिन्हें आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावली के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने–अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध फर्म हो : .....(भागीदार का नाम और पता) आत्मज निवासी.....आत्मज.....निवासी ....., जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्त, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म .....(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय..... नगर में ....पर है, (जिन्हें आगे "लाइसेन्सधारी" कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने–अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेगें)

यदि पट्टेदार निबद्ध कम्पनी हो : .....(कम्पनी का नाम) जो ..... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित हैं) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय ..... में है (पता) निबद्ध जिसको आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायगें) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गऐ नीलाम में पट्टेदार/पट्टेदारों को बोली का .....रु. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिए ..... वर्ष/वर्षों के निमित्त एतद्धीन लिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि क सम्बन्ध में ..... एकड़ों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और उसने/उन्होंने प्रतिभूमि स्वरूप .....रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार/पट्टेदरों की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को निम्नलिखित प्रदान ओर पट्टान्तरित करता है।

.....(यहां खनिज/खनिजों का उल्लेख किया जाये) जिन्हें आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खान, तल्प (beds) संदर सीम्स (veins seams)] जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जाएगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक ..... से ..... वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है/ करते हैं, और राज्य सरकार एमद्द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त निमयावली में अभिव्यक्ति है ओर एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्ति है।

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान ओर क्षेत्र : वह समस्त भू–खण्ड, जो जिला ..... की तहसील ..... और थाना ..... के अन्तर्गत परगना ..... में स्थान ..... पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रों का विवरण) स्थित है और उसकी भू–कर सर्वेक्षण संख्यायें ..... हैं तथा जिसमें ..... क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इसमें संलग्न नक्शे में किया गया और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :

उत्तर में .....

दक्षिण में .....

पूर्व में .....

तथा

पश्चिम में .....

और जिस एतद्द्वारा "उक्त भू–खण्ड" कहा गया है।

भाग–2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

स्वामित्व की धनराशि : (1) पट्टेदार, इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गये क्षेत्र में उसके/उनके द्वारा हटाये गये सभी ..... के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वामित्व का भुगतान करेगा/करेगें

किश्तों की संख्या	धनराशि	दिनांक, जब किश्त दिया जाएगा
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		

स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा : (2) (इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किश्तों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को ..... पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जाएगा तथा चालान की एक प्रति जिला अधिकारी को भेजी जाएगी।

स्वामित्वों का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया : (3) यदि इस उपस्थापन–पत्र (presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किश्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उसे ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण–पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग–3

सामान्य उपबन्ध

नियमों प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है : (1) यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली , 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा की पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार/पट्टेदारों को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।

पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा/हटायेगें :– (2) पट्टेदार इस उपस्थापन–पत्र के आधार पर देय स्वामित्व का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर उक्त अवधि की समाप्ति पर उसकी शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात् तीन कलेण्डर मास के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाए) और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेन्डर मास में अपने की लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें और अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थानों (conveniences) को उखाड़ सकता है/सकते हैं और हटा सकता है/सकते हैं, जो उक्त भूमि में या उस पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा रखे गये हों।

पट्टे की समाप्ति के पश्चात तीन मास से अधिक समय ते छोड़ी गयी सम्पत्ति की जब्ती :– (3) यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के प्रभावी होने के पश्चात् तीन कलेण्डर मास के अन्त में उक्त भूमि या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निर्माण कार्य और अस्थाई आवास स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके सम्बन्ध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात् जिसमें जिला अधिकारी द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गई हो एक कलेन्डर मास के भीतर पट्टेदार/ पट्टेदारों द्वारा न उठाये जायें, तो यह समझा जाएगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गई है और किसी प्रतिकर का भूगतान किए बिना या उसके सम्बन्ध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना उनकी बिक्री या निस्तारण ऐसी रीति से किया जा सकता है जो राज्य सरकार उचित समझें।

नोटिस :– (4) इस उपस्थापन–पत्र द्वारा पट्टेदारा/पट्टेदारों को दिए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया जाएगा, जिसे पट्टेदार ऐसे नोटिस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे/करें, और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा प्रत्येक नोटिस पट्टेदार/पट्टेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पट्टे में उसके/उनके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे पते पर भेजा जाएगा जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों की प्राप्त करने के लिए दे/दें और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार/पट्टेदारों पर उचित तथा वैध तामील समझी जाएगी और उसके सम्बन्ध में उसके/उनके द्वारा न तो आपत्ति की जाएगी और न उसे उपाहूत (challenged) किया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क : (5) स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित भूमि से प्रत्याशित स्वामित्व प्रति वर्ष .....रू. है।

इनके साक्ष्य के रूप पमें यह उपस्थापनपत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1–	1–
2–	2–
3–	

की उपस्थिति में ..... द्वारा हस्ताक्षरित की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।